न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2019 राजस्व अपील

1. हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी राणोली उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय निर्णय दिनांक 10.09.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरभजन प्रकरण सं. 65/2018 अ.धारा 91 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थिति : श्री मुरली मनोहर शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 29.11.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट हरभजन पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली तहसील सिकराय ने सम्वत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है. भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को दिनांक 10.9.2018 को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी नहीं लिखा कि अपीलान्ट ने किस चीज की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का ने भी अपीलान्ट के समक्ष मौके पर जाकर कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। पत्रावली

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में ऐसा कोई रिकॉर्ड व सबूत भी नहीं है। जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भी अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं सुनाया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा ग्राम राणोली तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है पर से अपना कब्जा आवास व बाडा 0.04 है., फसल बाजरा 0.06 है. छोटे पेड आंवला 0.05 है. हटा लिये जाने व उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं होने व भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश व निर्णय तारीख 10.09.2018 निरस्त फरमाये जाने का निवदेन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम राणोली में स्थित भूमि खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है. किस्म चरागाह में 0.04 है. भूमि पर आवास व बाडा बनाकर, 0.06 है. भूमि पर बाजरे की फसल काश्त कर तथा 0.05 है. भूमि पर छोटे आवले के पेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर, शास्ति कायम करने के साथ ही एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लिये जाने का कथन किया है परन्तु पटवारी हल्का राणोली से वर्तमान स्थिति की जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है. में पुख्ता आवास व आबादी का अतिक्रमण होना लिखा गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है. किस्म चरागाह में 0.04 है. भूमि पर आवास व बाडा बनाकर, 0.06 है. भूमि पर बाजरे की फसल काश्त कर तथा 0.05 है. भूमि पर छोटे आवले के पेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उप तहसीलदार बहरावण्डा से मौके से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में पुनः जांच कराई गई। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने मौका रिपोर्ट में प्रश्नगत चरागाह भूमि खसरा नं. 157 रकबा 0.15 है. भूमि में पुख्ता आवास व आबादी का अतिक्रमण होना अंकित क्रिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 65/2018 उनवानी सरकार बनाम हरभजन में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official